परिचय (Introduction)

शहरीकरण, औद्योगीकरण एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों के चलते पृथ्वी के नैसर्गिक सौन्दर्य आज के समय में नष्ट होते स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ताजमहल का कान्तिहीन होते जाना, अम्ल वर्षा, मौसम चक्र परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग स्वच्छ जल अनुपलब्धता, ओजोन पर्त का क्षय होते जाना, वायुमण्डलीय घटकों में परिवर्तन हो जाना सबसे सभी भिज्ञ है। इनसे जिनत बीमारियों से मानव समुदाय को दो-चार होना पड़ रहा है। इस संकट का आभास ग्लोबल स्तर पर सन् 1972 में स्वीडन के स्टॉक होम में 144 देशों ने भाग लेकर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुये एक संगोष्ठी आयोजित की। हालांकि इस मुद्दे पर उस समय एक आम सहमित को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। लेकिन फिर भी इस पर विचार करते हुये 1989 में Pans में सात विकसित देशों ने हिस्सा लिया और इस पर्यावरण मुद्दे पर रूख थोड़ा गम्भीर हुआ ज्ञात होता है कि विकसित देशों में कम जनसंख्या होने के बावजूद उनसे उत्सर्जित व्यर्थ से असर मात्र उन्हीं देशों पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। वे इसी ग्लोबल प्रभाव की चपेट में आ रहे हैं। ये देश आज G-8 (जी–आठ) के रूप में संयुक्त होकर भूमण्डलीय पर्यावरण में सुधार हेतु पहल कर रहे हैं। ग्लोबल स्तर से पूर्व प्रत्येक देश ने अपने–अपने कुछ नियम, कायदे, कानून विधिक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु बनाये तािक पर्यावरण को दूषित होने से रोका जा सके एवं इसकी स्वच्छता बचाई व बरकरार रखी जा सके। ऐसा करने के लिये सभी देशों ने अपनी–अपनी रणनीित तैयार की। बहिस्राव उपचार संयन्त्रों हेतु आबकारी कर (Exise duty) में छूट, संसाधनों के दोहन न करने हेतु सुझाव देना आदि सब औपचारिक कानून बनाये गये।

प्रत्येक नागरिक को पृथ्वी पर संसाधनों के संरक्षण हेतु नियमों से अवगत कराया गया एवं इसकी बाध्यता पर जोर दिया गया। पर्यावरण कानून के लागू होने से स्वतन्त्र रूप से प्राकृतिक सौन्दर्य के नष्ट होने पर अंकुश जरूर लगा। परन्तु इस समस्या का तुरंत निदान का कारण न बनने से एवं सरकारी व्यवस्था के चलते सारे नियम शिथिल होते गये। इसके लिये देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण विनष्टि को बचाये तािक आने वाली पीढ़ी को इस संतुलित पर्यावरण का सुखद अहसास हो सके एवं धरोहर के रूप में हम उन्हें स्वच्छ वातावरण दे सकें।

प्रदूषण नियन्त्रण कानून (Pollution Control Legislation)

भारत में प्रदूषण को रोकने के लिये निम्न कानून बनाए गए हैं—

(1) जल प्रदूषण अधिनियम 1974 [The water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act]

इस कानून के अन्तर्गत पेयजल की सुरक्षितता का संरक्षण तथा प्रदूषण को रोकना एवं नियन्त्रण पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर निगरानी रखना, उनको खोजना, उन्हें दूर करने के उपाय निकालना तथा उद्योगों व नगरपालिकाओं से उत्सर्जित प्रदूषित जल को छोड़ने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना आदि प्रावधान वर्णित है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का गठन किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के निम्नांकित कार्य होते हैं—

- केन्द्रीय प्रदूषण बांड क निम्नाकित काय हात ह—

 (i) केन्द्रीय सरकार को जल प्रदूषण सम्बन्धी सलाह देना।
- (ii) जल प्रदूषण विषेषज्ञों की ट्रेनिंग।
- (iii) जल प्रदूषण को रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना।
- (iv) सम्बन्धित तकनीकी व सांख्यिकी सूचना एकत्र, एकीकृत एवं प्रकाशित करना।

प्रान्तीय बोर्ड के काय-

- प्रान्तीय सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्यक्रम चलाना।
- जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना।
- (iii) सीवेज तथा उत्सर्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना।
- (iv) सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोगी प्रयोग ज्ञात करने के साथ-साथ इन्हें हटाने के उचित तरीके खोजना। इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड (तीन माह की कैद) तथा पाँच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

(2) वायु प्रदूषण अधिनियम (Air Pollution Act) 1981

छुठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में पुन: पर्यावरण पर ध्यान दिया गया। इससे पहले 1972 में यूनाइटेड नेशन (United Nation) के मानव पर्यावरण पर हुए अधिवेशन में भारत ने भाग लिया था। 'वायु प्रदूषण' से तात्पर्य किसी ठोस, द्रव या गैसीय वस्तु से हैं जो वायुमण्डल में इतनी सान्द्रता से एकत्रित हो कि व्यक्तियों अथवा अन्य जीवित वस्तुओं के लिये हानिकारक या वनस्पिति या सम्पदा या पर्यावरण के लिये हानिकारक हो।

- (1) केन्द्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये जल प्रदूषण बोर्ड की रोकथाम के अनुसार ही कार्य करेगा।
- (2) प्रान्तीय बोर्ड, केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से, औद्योगिक इकाइयाँ, मोटर गाड़ियों के लिये वांछित वायु गुणता का निर्धारण करेंगे, जो क्षेत्र आधारित होगी।
- (3) प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय बोर्ड की सलाह पर मोटर गाड़ियों के धुँए के मानक निर्धारित कर सकती है।
- (4) इस अधिनियम में वायु प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से बाहर बनाने के लिए min दूरी का निर्धारण, चिमनी की ऊँचाई का निर्धारण करना, क्षेत्रीयकरण करना वायु प्रदूषण पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयों की मानिटरिंग करना, प्रदूषण नियन्त्रण की कारगर इकाइयों का Implementation किये जाने हेतु डिजाइन करना, पिब्लिक को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु टी० वी०, अखबार, आदि के माध्य से चेतना जागृत करना है। इसके अतिरिक्त नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक कैद तथा जुर्माने का प्रावधान हो और कम्पनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है।

(3) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (Environment Protection Act 1986)

5 जून से 16 जून, 1972 के मध्य स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ तथा पर्यावरण संरक्षण विश्वस्तरीय मुद्दा बना। इस समस्या पर सभी विकसित देशों ने गहरा चिन्तन व मनन किया। भारतवर्ष ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम को 23 मई, 1986 को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर द्वारा सहमित व स्वीकृति प्रदान की गई तथा 26 मई, 1986 के राजपत्र में यह प्रकाशित किया गया। धारा 1(3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना के पश्चात् 19 नवम्बर, 1986 को यह प्रवृत्त हुआ और तभी से यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है।

इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं-

- 'पर्यावरण प्रदूषक' से तात्पर्य किसी ठोस द्रव अथवा गैसीय पदार्थ से है जो इतनी सान्द्रता में हो कि पर्यावरण के लिये हानिकारक सिद्ध हो।
- (2) पर्यावरण का संरक्षण करना तथा उसमें आवश्यक सुधार करना।
- (3) मानव प्राणियों, जीवों, पादपों एवं सम्पत्तियों को वायु प्रदूषण के परिसंकट से बचाना।
- (4) मानवीय पर्यावरण सुरक्षा व स्वास्थ्य को खतरा पैदा करने वालों के लिए निरोधात्मक दण्ड की व्यवस्था करना।
- (1) इस अधिनियम में वर्णित मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैं—
 - (1) पर्यावरण संरक्षण कार्य में प्रान्तीय सरकारों के कार्यों को नियमित करना।
 - (2) पर्यावरण गुणता के मानको को निर्धारित करना।

- (3) उन क्षेत्रों का निर्धारण करना जिनमें सुरक्षा उपायों के साथ विधिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित किये जा सकते हैं।
- (4) पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के कारगर सुरक्षात्मक तरीके निर्धारित करना।
- (5) घातक (Hazardous) सामग्री को उठाने-रखने की सुरक्षात्मक कार्यविधि का निर्धारण।
- (6) पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिये शीघ्र कार्य।
- (7) पर्यावरण प्रदूषण शोध प्रयोगशालाओं का स्थापन या मान्यता प्रदान करना।
- (8) मैनुअल, गाइड, बुक, कोड आदि को तैयार करना।
- (9) पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी सूचना एकत्र करना एवं प्रकाशित करना।
- (10) पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी अन्य समुचित कार्य करना।
- (2) अधिनियम के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक उद्योगों को रोकने का आदेश देने के लिए सरकार सक्षम है।
- (3) इस अधिनियम में केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित के मानक स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया है—
 - (i) वायु, जल एवं मृदा के मानक।
 - (ii) घातक पदार्थों को उठाने, रखने के नियम।
 - (iii) विभिन्न स्थानों पर उद्योग-धन्धे लगाने पर रोक।
 - (iv) दुर्घटना की रोकथाम की कार्य-प्रणाली के मानक।
- (4) अधिनियम में सरकार को संस्थानों का निरीक्षण करने, नमूने लेने तथा उद्योग कार्य रोकने का अधिकार दिया गया है।
- (5) इस अधिनियम में नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख तक जुर्माना व 5 वर्ष की कैद का प्रावधान है और कम्पनियों तथा सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है।

भयावह रसायनों के निर्माण, भण्डारण एवं आयात (संशोधन) नियम 2000 (Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Amendment Rules 2000)

यह नियम केन्द्र सरकार के गजट सं॰ S.O. 966 (E) दिनांक 27 नवम्बर, 1989 में प्रकाशित होने के दिन से ही पूरे देश में लागू हुआ। इस नियम का संशोधन (Amendment) ride S.O. 57 (E) दिनांक 19 नवम्बर, 2000 में किया गया। सबसे पहले यह नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environment Protection Act E.P.A. 1986) के खण्ड 6, 8 व 25 के द्वारा जारी किया गया है। भयावह रसायनों का उपयोग करने वालों को संभावित दुर्घटनाओं की पहचान कर लेनी चाहिये और पर्याप सुरक्षा उपाय भी अपनाने चाहिये। तथा इन रसायनों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को समुचित जानकारी देनी चाहिये और भयावह रसायनों के पात्रों पर विशिष्ट सूचनाओं के लेबल लगा देने चाहिये। उद्योग में कार्य प्रारम्भ करने से पहले सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये। कार्य स्थल पर आकस्मिक योजनायें हमेशा तैयार तथा कार्यशील अवस्था में रखना और भयावह रसायनों के आयात के सभी अभिलेख तैयार रखने चाहिये।

भयावह अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तगन) (संशोधन) नियम-2003 [The Hazardous Waste (Management and Handling (Amandment) Rules 2003]

- (1) सबसे पहले यह नियम 'E.P.A. 1986' के अनुच्छेद 6, 8 एवं 25 के अन्तर्गत Hazardous Work (Management Handling) Rules 1989, vide S.O. 594 (E) दिनांक 28 जुलाई, 1989 द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। यह नियम प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो गये।
- (2) पुन: Vide S.O. 24 (E) दिनांक 6 जनवरी, 2000 एवं Vide S.O. 593 (E) दिनांक 20.05.2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

- (3) इस नियम में भयावह पदार्थों को किस प्रकार से उपयोग किया जाय और उनका समापन सुरक्षापूर्वक किस प्रकार किया जाय इसका विस्तृत वर्णन है।
- (4) जो संस्था खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं, उनके कर्तव्य एवं इसकी जिम्मेदारी भी इस नियम में वर्णित है।
- (5) यह नियम सूची-1 में उल्लेखित निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों पर भी लागू है। सूची-3A में आयात एवं निर्यात के लिए अपशिष्ट पदार्थों पर भी यह नियम लागू है।
- (6) यह नियम जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले जल अपशिष्ट एवं उत्सर्जित गैसों पर लागू नहीं होता है।
- (7) जिन स्थानों पर भयावह अपशिष्ट एकत्र, प्राप्त, उपचारित, भण्डारित एवं निस्तारित किये जाते हैं, उसे भयावह अपशिष्ट स्थल कहते हैं।
- (8) भयावह अपशिष्ट का हस्तगन अच्छी तरह से करना चाहिये तथा हस्तगन को प्रारम्भ करने से पहले अधिकार पत्र (Authorization) प्राप्त कर लेना चाहिए।
- (9) अधिकार-पत्र का समय समाप्त होने से पहले ही नये अधिकार पत्र के लिए आवेदन कर देना चाहिए।
- (10) खतरनाक अपशिष्ट के उत्पादन का अभिलेख स्थर पर ही तैयार करना चाहिये तथा इस स्थल की पहचान, अभिकल्पन एवं विकास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमित से करना चाहिये।

इस कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को उपकरण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करना।

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तगन) संशोधन नियम-2003 [Bio-medical Waste (Management and Handling) (Amendment) Rules — 2003]

यह अधिनियम सबसे पहले EPA — 1986 की धारा 5,8 एवं 26 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया। यह नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का उत्पादन, संग्रह, प्राप्ति, भण्डारण, परिवहन, उपचार, निस्तारण एवं हस्तगन करते हैं। तथा मनुष्यों एवं जानवरों के चिकित्सीय परिक्षण (diagnosis) उपचार एवं टीकाकरण आदि से उत्सर्जित अपशिष्ट एवं शोध कार्यों से उत्सर्जित अपशिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट कहलाते हैं। इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कार्य राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का है। नियमानुसार एक अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। उत्पादन स्थल पर ही यह अपशिष्ट अलग-अलग पात्रों में छाँटकर अलग कर देने चाहिये। जैसे मनुष्यों की शल्य क्रिया (anatomy), जानवरों एवं जीवाणु सम्बन्धी अपशिष्ट पीले रंग के प्लास्टिक थैले में एकत्र किया जाता है। जिसका या तो उपचार किया जाता है या जला दिया जाता है या फिर जमीन में गहराई से दबा दिया जाता है। इस तरह से तीन रंगों के प्लास्टिक बैग प्रयोग किये जाते हैं और इन थैलों पर लेबल लगाने के तरीके निर्धारित कर दिये जाते हैं।

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के परिवहन एवं निस्तारण की जिम्मेदारी नगरपालिका की होती है और इस अपशिष्ट को कहाँ जलाना है। इस स्थान को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी नगरपालिका की होती है। नगर पालिका के दायित्वों के अतिरिक्त सारी जिम्मेदारी जैव चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली संस्था अथवा प्रयोग करने वाली संस्था की ही होगी। नियमानुसार इस अपशिष्ट के उपचार या निस्तारण की विधियाँ निम्नवत् हैं—

- जैसे—(1) ऊष्मीय भष्मक (Incinerator),
 - (2) ऑटोक्लेविंग (Auto Claving),
 - (3) माइक्रोवेविंग (Microwaving),
 - (4) रसायनों द्वारा जीवाणु-नाशन,
 - (5) महीन अपघर्षण (Shredding) तथा
 - (6) जमीन में गहराई में खोदकर दबा देना।

ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियन्त्रण) (संशोधन) नियम-2000 [The Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules—2000]

भारत सरकार द्वारा Environment (Protection) Act 1986 के अनुसार ध्विन प्रदूषण (नियमन एवं नियन्त्रण) नियम-2000, जो कि भारत सरकार के vide S.O. 1088 (E) दिनांक 22 नवम्बर, 2000 द्वारा केन्द्रीय गजट में प्रकाशित किया गया। दुबारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

इस नियम के अन्तर्गत शोर के लिए मानक के अनुसार लाउडस्पीकर का उपयोग, ध्विन प्रदूषण रोकने हेतु उपाय तथा वायु के गुणवत्ता के मानकों का वर्णन उल्लिखित है। इस नियम के अन्तर्गत अस्पताल, शैक्षिक संस्थान एवं न्यायालय के आस-पास 100 मी० की दूरी का क्षेत्र शान्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। लाउडस्पीकर का प्रयोग, बिना अधिकृत अधिकारी के अनुमित प्राप्त किये, नहीं करना चाहिये।

घिरे हुए क्षेत्र जैसे ऑडीटोरियम, कान्फ्रेन्स हॉल, सामुदायिक हॉल एवं बैक्वेट हॉल को छोड़कर रात के समय (10.00 pm से 6.00 am) लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबन्धित है। नियम के अनुसार केवल सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों या पवा के अवसर पर ही रात्रि में 10.00 pm से 12.00 pm तक लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमित दी जा सकती है, किन्तु यह अनुमित पूरे वर्ष में 15 दिन से अधिक अवधि तक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में निर्धारित ध्विन स्तर से 10 डेसीबल का शोर अधिक हो तो इसकी शिकायत अधिकृत अधिकारी से की जा सकती है। और वह अधिकारी उस व्यक्ति के विरूद्ध इस नियम के अनुसार कार्यवाही करेगा।

अधिकृत अधिकारी को किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर शोर उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार इस नियम के द्वारा प्रदान किया गया है।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तगत) नियम-2000

[The Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules—2000]

इस अधिनियम में प्रमुख प्रावधानों का वर्णन निम्नवत् हैं-

- (1) यह नियम 25 सितम्बर, 2000 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया था।
- (2) इस नियम में नगरपालिकाओं के द्वारा ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करना, समापन करना एवं पुन: उपयोग हेतु विस्तृत निर्देश उल्लेखित हैं।
- (3) यह नियम सभी नगरपालिकाओं पर ठोस अपशिष्ट के संग्रह, छाँटना, भण्डारण, परिवहन, उपचार एवं निस्तारण लागू है। और इन प्रावधानों को लागू करना नगरपालिका का दायित्व होता है।
- (4) ठोस अपशिष्ट के उपचार करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए फार्म संख्या-1 पर राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड अथवा समिति को आवेदन करना आवश्यक होता है।
- (5) ऐसे नियम को लागू करने के लिए सूची-1 (Schedule-1) में वर्णित विधि के अनुसार ही नगरपालिका द्वारा ये
- (6) नगरपालिकों को चाहिये कि वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट फार्म सं० II पर 30 जून से पहले सम्बन्धित राज्य के शहरी विकास विभाग के सेक्रेटरी इंचार्ज को या मेट्रोपोलिटिन शहर के मामले में संघ राज्य (Union Terntory) के
- (7) गाँवों या शहरों के मामले में वार्षिक रिपोर्ट जिलाधिकारी अथवा डिप्टी कमिश्नर को दे देनी चाहिये और इसकी
- एक कॉपी राज्य प्रदूषण निषत्रण बार्ड उत्पन्न होने वाले नगरपालिका अपशिष्ट का प्रबन्धन एवं हस्तगन सूची 2

(9) नगरपालिका अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण (Processing and Disposal) की सुविधा या तो नगरपालिका को स्वयं या अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के द्वारा स्थापित की जानी चाहिए। इस कार्य हेतु सूची-3 (Schedule-3) एवं सूची-4 (Schedule-4) के अनुसार स्थापित मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है।

पुनः निर्मित प्लास्टिक (निर्माण एवं उपयोग) (संशोधन) नियम-2003 [Recycled Plastic (Manufacture and Usage) (Amendment) Rules—2003]

इस नियम में निम्नांकित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है—

- (1) पर्यावरण कानून, 1986 [Environmental (Protection) Act 1986] के अनुच्छेद 3, उप अनुच्छेद (2) तथा अनुच्छेद-25 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक निर्माण विक्रय एवं उपयोग नियम 1999 [The Plastic Manufacture Sale and Usage Rule 1999] जो कि vide S.O. 705 (E) दिनांक 25 सितम्बर 1999 को एवं इसका पुन: संशोधन vide S.O. 699 (E) दिनांक 17 जून, 2003 द्वारा भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया।
- (2) इस नियम में जहाँ कहीं थैले का उल्लेख किया गया है। वहाँ थैले (Carry bags) से आशय प्लास्टिक के थैले (Plastic bags) से है।
- (3) मूल प्लास्टिक (Virgin Plastic) या पुन: चक्रीकृत प्लास्टिक (Recycled Plastic) के नम्य अथवा सुदृढ़ बर्तन (पात्र) को इस नियम में केवल बर्तन (Contaier) कहा जाता है।
- (4) प्लास्टिक के थैलों अथवा बर्तनों में बन्द की गई सामग्री के विक्रेताओं को वेन्डर (Vendor) कहा गया है।
- (5) इन प्लास्टिक के थैलों अथवा पात्रों का आकार 20×30 सेमी॰ से कम नहीं होनी चाहिये और मोटाई 20 माइग्रेन से कम ना हो।
- (6) किसी भी वेण्डर को पुन: चक्रीकृत प्लास्टिक के थैले अथवा वर्तनों का प्रयोग किसी भी तरह से नहीं कर सकता।
- (7) प्लास्टिक के बने थैले अथवा पात्र प्राकृतिक रंग अथवा सफेद रंग के होने चाहिये।
- (8) 50 प्लास्टिक के थैलों का न्यूनतम भार 105 gm होना चाहिये इस भार में हम 5% कम या ज्यादा कर सकते हैं।
- (9) प्लास्टिक थैलों के निर्माता को थैलों अथवा पात्रों के ऊपर 'As per 15 : 14534 1998' अवश्य अंकित करना चाहिए, और इन पर 'Recycled Material' अथवा 'Virgin Plastic' भी लिखा जाना चाहिये।
- (10) इस नियम के अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्य के मामले में राज्य प्रदूषण बोर्ड की होती है।
- (11) सभी निर्माताओं को फार्म सं०-1 पर राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड अथवा सिमिति में निर्माण के लिये पंजीकरण कराने हेतु अथवा इकाई नवीनीकरण हेतु इस नियम के प्रकाशन की तिथि से 4 महीने के अन्दर आवेदन करना जरूरी है।